P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-I*September-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

जनपद शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रगति का मूल्यांकन

जगदीश कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
वाणिज्य विभाग,
एस0 एस0 कालेज,
शाहजहांपुर

सारांश

भारतीय संस्कृति दुनिया की एक अद्वितीय मिसाल है, जो मुख्य रूप से नैतिकता और आध्यात्म पर टिकी हुई है। विश्व की कुछ महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ जैसे बेबिलोन, इजिप्ट, ग्रीस, रोम आदि की संस्कृति एक समय में ऊँचे उठकर कुछ काल उपरान्त नष्टप्राय हो गईं, परन्तु भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। सदियों से भारत की सभ्यता व संस्कृति उच्च कोटि की रही है। प्राचीन भारत में भौतिकता व आध्यात्म का अद्भुत समन्वय प्रत्येक गाँव में बहता था। भारत जैसे विशाल देश की संस्कृति विश्व में अद्वितीय स्थान रखती है, परन्तु विडम्बना यह है कि आधुनिकता की वर्तमान अंधी दौड़ में हम अपने गाँव को हेय दृष्टि से देखने लगे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि ''अगर गाँव का नाश होता है तो भारत का ही नाश हो जावेगा।'' उस हालत में भारत, भारत नहीं रहेगा और दुनिया को उसे जो संदेश देना है, वह संदेश को वह खो देगा।

मुख्य शब्द : जनपद, प्रगति, रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना।

प्रस्तावना

जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्राचीन काल से ही यहाँ की जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। भारत की जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। चूँकि भारतीय कृषि प्रकृति पर निर्भर है इसलिए यहाँ के कृषक तीन–चार माह बेरोजगारी का जीवन व्यतीत करते हैं। प्रायः कृषि का व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीकरण 19वीं शताब्दी के बाद हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में बाजार का एक सीमित क्षेत्र था। भारतीय कच्चे माल के लिए उस समय तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार खुल नहीं पाये थे। खेतों का कोई विभाजन नहीं हुआ था। जिन व्यक्तियों के पास कृषि के लिए भूमि नहीं थी उन्हें ग्रामीण उद्योग धन्धों में काम मिल जाता था। अतः भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक नहीं था।

वर्तमान में बेरोजगारी एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है तथा भारत जैसे विकासशील देशों में यह अनेक आर्थिक–सामाजिक समस्याओं जैसे निर्धनता, अज्ञानता, बीमारी, अभाव, निम्न जीवन स्तर, सामाजिक कुंठा, नैराश्य आक्रोश, अपराध, भुखमरी आदि की जड़ है। भारत में बेरोजगारी व न्यून रोजगार मूल रूप से एक सामाजिक–मनोवैज्ञानिक समस्या ही नहीं, वरन् एक आर्थिक अभिशाप भी है। देश में काम, रोजगार व उद्यमों का अभाव सम्पूर्ण समाज एवं व्यक्ति के स्तर पर एक गम्भीर एवं घातक समस्या है। इसके फलस्वरूप जहाँ एक ओर राष्ट्र के प्राकृतिक एवं भौतिक साधन अप्रयुक्त रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर व्यक्तियों के कौशल, ऊर्जाओं एवं उद्यमियों सम्भावनाओं का सही उपयोग नहीं हो पाता है।

उद्देश्य

जनपद शाहजहांपुर एक कृषि प्रधान जनपद है, जिसकी आबादी लगभग 20 लाख है। प्रस्तुत शोध पत्र जनपद में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रगति के मूल्यांकन से संबंधित है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि जनपद शाहजहांपुर को इस योजना से कितना लाभ हुआ?

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एवं राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित एक रोजगारोन्मुख एवं महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को बैंक द्वारा ऋण मुहैया कराकर उद्योग, सेवा अथवा व्यवसाय के माध्यम से स्वतः रोजगार स्थापित करने की व्यवस्था है। चयनित लाभार्थियों हेतु बैंक ऋण के साथ–साथ अनुदान एवं अनिवार्य प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-I*September-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

योजना की पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु निम्नलिखित अर्हतायें होना आवश्यक हैं

1. अभ्यर्थी कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/अनुमोदित किसी ट्रेड में 6 महीने की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त हो, को वरीयता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो।
2. अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य जिसमें अनु0 जा0/जनजाति, भतपूर्व सैनिक, विकलांग तथा महिलाओं के लिए आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है।
3. अभ्यर्थी की वार्षिक पारिवारिक आमदनी रू0 40,000 से अधिक न हो। परिवार का अर्थ पति–पत्नी एवं माता पिता से है एवं पारिवारिक आय में मजदूरी, वेतन, कृषि, व्यवसाय, किराया इत्यादि सभी स्त्रोतों से आय सम्मिलित है।
4. अभ्यर्थी किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो।
5. कम से कम 3 वर्षों से उस क्षेत्र का स्थाई निवासी हो। नव विवाहित महिलाओं के लिए शिथिलता का भी प्राविधान है।

चयन प्रक्रिया

लाभार्थियों का चयन व्यापक प्रचार–प्रसार के पश्चात् आवेदन पत्र प्राप्त कर महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है। यह आवेदनपत्र जिला उद्योग केन्द्र कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध है फिर भी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रारुप को सादे कागज पर लिखकर अथवा टाइप करवाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

योजना की प्रगति का मूल्यांकन

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए ऋण मुहैया कराया जाता है। जिसे मुख्यतः चार वर्गों में बाँटा गया है। एक लाख से कम पूँजी विनियोजित वाले लघु उद्योगों का विवरण तालिका संख्या–1 में दर्शाया गया है

तालिका संख्या–1

लघु उद्योग पूँजी विनियोजित एक लाख से कम लाख रुपये में

वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति	रोजगार सृजन	पूर्ति का प्रतिशत
1998–99	550	575	1353	104.5
1999–00	550	550	634	100.0
2000–01	550	557	698	101.2
2001–02	550	552	1391	100.4
2002–03	550	530	1781	100.0
2003–04	530	530	1787	100.0
2004–05	530	530	1818	100.0
2005–06	530	530	1833	100.0
2006–07	530	530	1784	100.0

स्रोत–जिला उद्योग केन्द्र शाहजहाँपुर से प्रकाशित सूचनाएँ।

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र शाहजहाँपुर के माध्यम से लघु उद्योगो में ;एक लाख से कमद्ध निम्न प्रकार पूँजी विनियोजित की गयी। वर्ष 1998–98 में जिला उद्योग शाहजहाँपुर ने पूँजी विनियोजित लक्ष्य 550 लाख रुपये निश्चित किया गया था जबकि पूर्ति 575 लाख की गई जिसके सापेक्ष 1353 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया जिस कारण पूर्ति प्रतिशत 104.5 प्रतिशत रहा। वर्ष 1999–2000 में लक्ष्य 550 लाख रुपये रखा गया तथा पूर्ति 550 लाख रुपये हई जिसक सापेक्ष 634 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया जोकि पूर्ति लक्ष्य का शत प्रतिशत रहा तथा पिछले वर्ष की तुलना मे पूर्ति लक्ष्य 4.5 प्रतिशत कम रहा। वर्ष 2000–01 में लक्ष्य 550 लाख रुपये रखा गया जबकि पूर्ति 557 लाख रुपये हुई जिसके सापेक्ष 698 लाभार्थियां को लाभान्वित किया गया जिस कारण पूर्ति लक्ष्य 101.2 प्रतिशत रहा जोकि गतवर्ष की अपेक्षा 1.2 प्रतिशत अधिक रहा। इसी प्रकार वर्ष 2001–02 में लक्ष्य 550 लाख निर्धारित किया गया जबकि पूर्ति 552 लाख हुई। जिसके सापेक्ष 139 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। पूर्ति लक्ष्य 100.4 प्रतिशत रहा जोकि गत वर्ष से 0.8 प्रतिशत कम रह गया। वर्ष 2002–03 में लक्ष्य 530 लाख रुपये निर्धारित किया गया जबकि तालिका से ज्ञात होता ह कि पूर्ति भी 530 लाख हुई जिसके सापेक्ष 1781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया तथा पूर्ति लक्ष्य 100 प्रतिशत रहा जोकि गत वर्ष से 0.4 प्रतिशत कम रहा। वर्ष 2003–04 में जिला उद्योग केन्द्र शाहजहाँपुर 530 लाख रुपये निर्धारित किया गया था जिस कारण 530 लक्ष्य पूर्ति प्राप्त हुई तथा 1787 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। पूर्ति लक्ष्य 100 प्रतिशत रहा। वर्ष 2004–05 में लक्ष्य 530 के सापेक्ष पूर्ति 530 लाख हुई जिसके सापेक्ष 1818 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया तथा पूर्ति लक्ष्य 100 प्रतिशत रहा जोकि गत वर्श के समान ही रहा। वर्ष 2005–06 में केन्द्र ने लक्ष्य 530 लाख निर्धारित किया जबकि पूर्ति 530 लाख हुई जिसके सापेक्ष 1833 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया तथा पूर्ति लख्य 100 प्रतिशत रहा जोकि गतवर्ष के बराबर रहा। वर्ष 2006–07 में जिला उद्योग केन्द्र ने विनियोजित पूँजी लक्ष्य 530 लाख निर्धारित किया जबकि पूर्ति भी 530 लाख रही जिसके सापेक्ष 1784 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया तथा पूर्ति लक्ष्य प्रतिशत 100 प्रतिशत रहा जोकि गतवर्ष के बराबर रहा।

निष्कर्ष

जिला उद्योग केन्द्र शाहजहाँपुर ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत गत दस वर्षों में लगातार लक्ष्य क समकक्ष तथा लक्ष्य से अधिक एक लाख से कम विनियोजित पूँजी वाले लघु उद्योगों में पूर्ति की है जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद शाहजहाँपुर में एक लाख से कम पूँजी वाले लघु उद्योगों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना सफल रही। जिला उद्योग केन्द्र शाहजहाँपुर ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत एक लाख से कम विनियोजित पूँजी तथा एक लाख से अधिक विनियोजित

पूँजी वाले लघु उद्योगों एवं दस्तकारी के अन्तर्गत ही केवल लक्ष्य से अधिक पूर्ति नहीं की बल्कि इनके अतिरिक्त अन्य रोजगारों के लिए भी प्रत्येक वर्ष लक्ष्य से अधिक पूर्ति करके यह सि(कर दिया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना सभी शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अत्यन्त उपयोगी है। जिसके लिए जिला उद्योग केन्द्र शाहजहाँपुर हर कदम पर उनके साथ है। उपरोक्त शोध अध्ययन के आधार पर निम्न सुझाव प्रस्तावित किये जाते हैं

1. बैंकों को अपनी कार्यप्रणाली में तीव्रता लानी चाहिए अर्थात् लाभार्थियों हेतु बैंक पद्धति सरल एवं सुगम होने के साथ–साथ द्रुतगमी होनी चाहिए।
2. लाभार्थियों के चयन में राजनैतिक तथा सामाजिक प्रभाव नहीं होने चाहिए अर्थात् आर्थिक आधार पर निष्पक्ष उचित लाभार्थियों का चयन किया जाना चाहिए।
3. डी0आर0डी0ए0 पर सरकारी नियंत्रण तथा निरक्षण बढ़ना चाहिए ताकि अनुदान का समुचित प्रयोग हो सके।
4. विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी क्रियाओं तथा आकड़ों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि जनता की जागरुकता बढ़ने के साथ–साथ संबंधित व्यक्तियों व संस्थाओं की उत्तरदयेता बढ़ सके।
5. सरकार को यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्धारित 100 रुपये दैनिक मजदूरी में वृद्धि करते हुए श्रमिकों को भोजन, कपड़े, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करें।
6. योजनाओं का भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन हो तभी रोजगार योजनाओं से सिर्फ प्रत्यक्ष लाभार्थियों को ही लाभ नहीं होगा बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिल सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अस्थाना, पी OE,UOE : भारत में आर्थिक नियोजन, जवाहर पब्लिकेशन, आगरा।
2. शर्मा एवं वार्ष्णेय : विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन, साहित्य भवन, आगना।
3. मुकर्जी, रविन्द्र नाथ : सामाजिक शोध एवं सांख्यकीय, विनोद प्रकाशन, दिल्ली।
4. मीतल, एस OE,UOE एवं : भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएँ, प्रगति प्रकाशन मिथलेश मीतल मेरठ।
5. झा, लक्ष्मीनारायण नाथूराम : भारतीय अर्थशास्त्र, लक्ष्मीनारायण, अग्रवाल, आगरा।
6. रेगनर नर्क्से सेन, ,OEdsOE : प्रोब्लम ऑफ केपिटल फार्गेशन इन अण्डर डेवलप्ट कन्ट्रीज ऑक्सफोर्ड, चॉइस ऑफ टेकनीक।
7. झिंगन, एम OE,yOE : विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन कोणार्क पब्लिशर्स, प्राO EfyOE, दिल्ली।